तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज लालसिंह चौहान **बनाम** लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 54 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.06..20	दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित होने से पत्रावली आज पेशी पर ली गई। संक्षित में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी लालसिंह चौहान पुत्र स्व. शंकरसिंह चौहान, पता 119, दाधिच नगर शिव मंदिर के पीछे, महामंदिर तीसरी पोल के बाहर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.01..20 में उसके द्वारा (1) वर्तमान में झालामण्ड क्षेत्र में ज्यूडिशियल एकेडमी के पास रिक्त राजकीय भूमि के नक्शे, खसरा नम्बर, क्षेत्रफल इत्यादि के दस्तावेजों की सत्यापित सुदा छाया प्रतियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार जोधपुर) से जरिये पत्रांक 236 दिनांक 12.03.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी को जरिये कार्यालय के पत्रांक / सू.अ.अ. / 2020 / 189 दिनांक 28.02.2020 को उपलब्ध कराई जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) की रिपोर्ट क अनुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	